नई दिल्ली, 10 जून, 2008

का. नि. आ. 56.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैनिक इंजीनियर सेवा, [सहायक इंजीनियर (भवन और सड़क)] और [सहायक इंजीनियर (इलैक्ट्रिक, मैकेनिक)] भर्ती नियम, 1978 तथा सैनिक इंजीनियर सेवा (कनिष्ठ संकर्म सर्वेक्षक) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, सैनिक इंजीनियर सेवा में सहायक इंजीनियर (सिविल) सहायक इंजीनियर (विद्युत/यांत्रिकी) और सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक इंजीनियर सेवा, सहायक इंजीनियर (सिविल), सहायक इंजीनियर (विद्युत/यांत्रिकी) और सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता :**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. सहायक इंजीनियर (सिविल)	678* (2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	6500-200-10500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी डिग्री या समतुल्य रखने वालों की दशा में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा करने वाले या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी डिप्लोमा या समतुल्य रखने वालों की दशा में उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा करने वाले 5500-9000 रुपए के पुनरीक्षित वेतनमान में कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) (तत्कालीन अधीक्षक भवन और सड़क, श्रेणी-1) और जिन्होंने सैनिक इंजीनियरी सेवा प्रक्रिया परीक्षा पास की है। जिसके न हो सकने पर किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी डिग्री या समतुल्य रखने वालों की दशा में उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा करने वाले या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी डिप्लोमा या समतुल्य रखने वालों की दशा में उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा करने वाले 5000-8000 रुपए के पुनरीक्षित वेतनमान में कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) (जिसके अंतर्गत तत्कालीन अधीक्षक भवन और सड़क, श्रेणी-2 भी सम्मिलित है) ; और जिन्होंने सैनिक इंजीनियरी सेवा प्रक्रिया परीक्षा पास की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :– 1. महानिदेशक (कार्मिक), प्रमुख इंजीनियर की शाखा —अध्यक्ष 2. संयुक्त महानिदेशक (कार्मिक)/उप महानिदेशक (कार्मिक), प्रमुख इंजीनियर की शाखा —सदस्य 3. उप/अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

2174 GI/08-8

1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी)	435* (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय।	6500-200-10500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिकी इंजीनियरी डिग्री या समतुल्य रखने वालों की दशा में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा करने वाले या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिकी इंजीनियरी डिप्लोमा या समतुल्य रखने वालों की दशा में उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा करने वाले 5500-9000 रुपए के पुनरीक्षित वेतनमान में कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत या यांत्रिकी) (तत्कालीन अधीक्षक विद्युत या यांत्रिकी, श्रेणी-1); और जिन्होंने सैनिक इंजीनियरी सेवा प्रक्रिया परीक्षा पास की है। जिसके न हो सकने पर किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिकी इंजीनियरी डिग्री या समतुल्य रखने वालों की दशा में उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा करने वाले या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिकी इंजीनियरी डिप्लोमा या समतुल्य रखने वालों की दशा में उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा करने वाले 5000-8000 रुपए के पुनरीक्षित वेतनमान में कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत या यांत्रिकी) (जिसके अंतर्गत तत्कालीन अधीक्षक विद्युत या यांत्रिकी श्रेणी-2 भी सम्मिलित है); और जिन्होंने सैनिक इंजीनियरी सेवा प्रक्रिया परीक्षा पास की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):- 1. महानिदेशक (कार्मिक), प्रमुख इंजीनियर की शाखा —अध्यक्ष 2. संयुक्त महानिदेशक (कार्मिक)/उप महानिदेशक (कार्मिक), प्रमुख इंजीनियर की शाखा —सदस्य 3. उप/अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
3. सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा)	121* (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय।	6500-200-10500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी डिग्री या समतुल्य रखने वालों या सर्वेक्षक संस्थान (भारत) के अंतिम/सीधी अंतिम परीक्षा (उप मंडल-2 भवन और परिमाण सर्वेक्षण) उत्तीर्ण की दशा में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा करने वाले या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी डिप्लोमा या समतुल्य रखने वालों या सर्वेक्षक संस्थान (भारत) की माध्यमिक परीक्षा (उप मंडल-2 भवन और परिमाण सर्वेक्षण) उत्तीर्ण की दशा में उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा करने वाले 5500-9000 रुपए के पुनरीक्षित वेतनमान में कनिष्ठ इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) (तत्कालीन सर्वेक्षक सहायक, श्रेणी-1); जिसके न हो सकने पर किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी डिग्री या समतुल्य रखने वालों या सर्वेक्षक संस्थान (भारत) के अंतिम/सीधी अंतिम परीक्षा (उप मंडल-2 भवन और परिमाण सर्वेक्षण) उत्तीर्ण की दशा में उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा करने वाले या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी डिप्लोमा या समतुल्य रखने वालों या सर्वेक्षक संस्थान (भारत) की माध्यमिक परीक्षा (उप मंडल-2 भवन और परिमाण सर्वेक्षण) उत्तीर्ण की दशा में उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा करने वाले 5000-8000 रुपए के पुनरीक्षित वेतनमान में कनिष्ठ इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) (तत्कालीन सर्वेक्षक सहायक, श्रेणी-2)। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):– 1. महानिदेशक (कार्मिक), प्रमुख इंजीनियर की शाखा –अध्यक्ष 2. संयुक्त महानिदेशक (कार्मिक)/उप महानिदेशक (कार्मिक), प्रमुख इंजीनियर की शाखा –सदस्य 3. उप अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. 85604/10/स.अ./आर.आर./सी.एस.सी.सी/398/डी(ए)/08]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

New Delhi, the 10th June, 2008

S.R.O. 56.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Military Engineer Services [Assistant Engineer (Building and Roads)] and [Assistant Engineer (Electrical/ Mechanical)] Recruitment Rules, 1978 and Military Engineer Services (Junior Surveyor of Works) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Engineer(Civil), Assistant Engineer (Electrical and Mechanical) and Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts) in Military Engineer Services, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Military Engineer Services Assistant Engineer (Civil), Assistant Engineer (Electrical and Mechanical) and Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts), Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of the said posts, their classifications and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, and other matters relating to said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Assitant Engineer (Civil)	678* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 6500-200-10500	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11	12
Promotion	**Promotion :** Junior Engineer (Civil) (Erstwhile Superintendent Building and Roads Grade-I) in the revised pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade in the case of Civil Engineering Degree Holders from a recognized University or equivalent or seven years of regular service in the grade in the case of Civil Engineering Diploma Holders from a recognized Institute or University or equivalent; and Having passed the Military Engineer Services Procedure Examination Failing which Junior Engineer (Civil) (Including Erstwhile Superintendent Building and Roads-II) in the revised pay scale of Rs. 5000-8000 with six years regular service in the grade in the case of Civil Engineering Degree Holders from a recognized University or equivalent or 10 years of regular service in the grade in the case of Civil Engineering Diploma Holders from a recognized Institute or University or equivalent; and Having passed the Military Engineer Services Procedure Examination. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) :— (i) Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch —Chairman (ii) Joint Director General (Personnel)/Deputy Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch —Member (iii) Deputy/Under Secretary, Ministry of Defence —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

2174 GI/08-9

1	2	3	4	5	6	7
2. Assistant Engineer (Electrical and Mechanical)	435* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 6500-200-10500	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Two years

11	12
Promotion	**Promotion :** Junior Engineer (Electrical or Mechanical) (Erstwhile Superintendent Electrical or Mechanical Grade-I) in the revised pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade in the case of Electrical or Mechanical Engineering Degree Holders from a recognized University or equivalent or seven years of regular service in the grade in the case of Electrical or Mechanical Engineering Diploma Holders from a recognized Institute or University or equivalent; and Having passed the Military Engineer Services Procedure Examination. Failing which Junior Engineer (Electrical or Mechanical) (Including Erstwhile Superintendent Electrical and Mechanical Grade-II) in the revised pay scale of Rs. 5000-8000 with six years regular service in the grade in the case of Electrical or Mechanical Engineering Degree Holders from a recognized University or equivalent or ten years of regular service in the grade in the case of Electrical and Mechanical Engineering Diploma Holders from a recognized Institute or University or equivalent; and Having passed the Military Engineer Services Procedure Examination. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) :— (i) Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch —Chairman (ii) Joint Director General (Personnel)/Deputy Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch —Member (iii) Deputy/Under Secretary, Ministry of Defence —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1	2	3	4	5	6	7
3. Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts)	121*(2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 6500-200-10500	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Two years

11	12
Promotion	**Promotion :** Junior Engineer (Quantity Surveying and Contracts) (Erstwhile Surveyor Assistant Grade-I) in the revised pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade in the case of Civil Engineering Degree Holders from a recognized University or equivalent or passed Final/Direct Final Examination (Sub Division-II Building and Quantity Surveying) of the Institution of Surveyors (India) or seven years of regular service in the grade in the case of Civil Engineering Diploma Holders from a recognized Institute or University or equivalent or passed Intermediate Examination (Sub Division-II, Building and Quantity Surveying) of the Institution of Surveyors (India). Failing which Junior Engineer (Quantity Surveying and Contracts) (Including Erstwhile Surveyor Assistant Grade-II) in the revised pay scale of Rs. 5000-8000 with six years regular service in the grade in the case of Civil Engineering Degree Holders from a recognized University or equivalent or passed Final/Direct Final Examination (Sub Division-II, Building and Quantity Surveying) of the Institution of Surveyors (India) or ten years of regular service in the grade in the case of Civil Engineering Diploma Holders from the recognized Institute or University or equivalent or passed Intermediate Examination (Sub Division-II, Building and Quantity Surveying) of the Institution of Surveyors (India). **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) :— (i) Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch —Chairman (ii) Joint Director General (Personnel)/Deputy Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch —Member (iii) Deputy/Under Secretary, Ministry of Defence —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

[No. 85604/10/AEs/RR/CSCC/398/D(Apptts.)/08]

C. J. JOSE, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.